मुंबई पोर्ट ट्रस्ट

पारदर्शिता योजना

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट : तथ्य परक पत्रक

- 1873 में स्थापित 63 दशलक्ष मेट्रिक टन ब्रेक बल्क,द्रव बल्क, पोतभार की सम्हलाई करता है.
- जवाहर द्वीप स्थित पी.ओ.एल. (35.36 मे.टन)
- पिर पाव स्थित रसायन टर्मिनल (3.48 मे.टन)
- ऑटोमोबाईलों के लिए रो–रो सुविधाएँ (2.1 लाख कारें)

सुविधाएँ	डुबाव	घाट	पण्यों की सम्हलाई
इंदिरा गोदी	अंदरुनी लॉक गेट 8.84 मीटर	26	शुष्क बल्क, सामान्य पोतभार, परियोजना
	बीपीएक्स / बीपीएल 10.5 / 9.8 मीटर		पोतभार क्रुज़ जहाज
जवाहर द्वीप	14 मीटर्स	4	पेट्रोलियम, तेल, स्नेहक
पिर पाव	11 मीटर्स	3	द्रव रसायन
ह्युजेस निर्जल गोदी	304X30.4 मीटर्स (लंबाई X चौडाई)		जहाज मरम्मत

- प्रचालन आय – रु.1461 करोड़, प्रचालन अधिशेष – रु.366.78 करोड़, तथा प्रचालन अनुपात –74.90: कर पश्चात केवल अनुशेष – रु.(–) 332.77 करोड़
- कर्मचारी – 9548, सेवानिवृत्ति वेतन धारक-34800

1) वेबसाईट पर सभी संगत जानकारी डालकर पारदर्शिता
2) न्यूनतम स्वेच्छानिर्णय के उद्देश्य से पारदर्शी प्रणाली
3) स्वतंत्र बाहरी संवीक्षा
4) स्टेक होल्डरों का परस्पर संवाद
5) जनता से प्रबंधन की पहुँच
6) पारदर्शिता अधिनियम/नीतियाँ
7) प्राप्तियाँ तथा भुगतानों में पारदर्शिता
8) व्यथा/शिकायत निवारण तथा फिडबॅक तंत्र
9) कम्प्युटरीकरण के जरिए स्वेच्छानिर्णय को न्यूनतम रखना.
10) सतर्कता कर्रवाई
11) चेजिंग माइण्डस् कार्यक्रम
12) मानव संसाधन में पारदर्शी नीतियाँ
13) भूमि आबंटन तथा प्रबंधन हेतु पारदर्शी नीति
14) कर्मचारियों की व्यथा के निवारण की प्रणाली
15) सत्यनिष्ठा के लिए प्रोत्साहन देना
16) क्षमता वृद्धि
17) वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा अनुरक्षण
18) संगठन को शामिल होना.

1) सभी संगत जानकारी को वेबसाईटपर डालने से पारदर्शिता

मण्डल के निर्णय, नागरिकों का चार्टर, विनियम, कार्य पध्दतियाँ, सभी निविदाएँ मुंबई पोर्ट की वेबसाईटपर प्रदर्शित की जाती है.

2) न्यूनतम स्वेच्छानिर्णय के साथ पारदर्शी प्रणाली

i) पारदर्शिता हेतु निविदा प्रक्रियों में पध्दतिनुसार सुधार (अनुलग्नक)

ii) निविदा नियमावली

iii) सतर्कता सार–संग्रह

iv) दायित्व प्राधिकारी मॅट्रिक्स

v) उपाध्यक्ष द्वारा स्थल का निरीक्षण (रु.1 करोड़ से अधिक की संविदाएँ)

vi) नागरिकों का चार्टर

vii) आंतरिक लेखा परीक्षा

3) स्वतंत्र बाहरी संवीक्षा

i) सत्यनिष्ठा करार

ii) सत्यनिष्ठा सूचक

iii) कॅग लेखा परीक्षा

iv) सामान्य वित्त नियम

v) तीसरे पक्ष द्वारा मॉनिटरींग (रु. 3 करोड़ से अधिक)

vi) परिवर्तन समिति

vii) आईएसओ के अधीन बाह्य निष्पादन लेखा परीक्षा

4) **स्टेकहोल्डरों का परस्पर संवाद**

i) स्टेकहोल्डरों के साथ पारदर्शिता कार्यशालाएँ

ii) संगठनों के साथ शिकायत निवारण बैठकें

iii) स्टेकहोल्डरों के साथ तकनीकी मामलों पर कार्यशालाएँ

5) **जनता से प्रबंधन की पहुँच**

i) नियत समयों पर खुली शिकायत सम्हलाई

ii) सोशल मीडिया (ट्विटर/फेसबुक) के जरिए परस्पर संवाद

iii) पेन्शनरों की शिकायतों के लिए दो अधिकारियों की नियुक्ति.

6) पारदर्शिता अधिनियम /नीतियाँ

i) सूचना अधिकार अधिनियम

ii) सूचना प्रदाता संरक्षण नीति

iii) नागरिकों का चार्टर

7) प्राप्तियाँ तथा भुगतानों में पारदर्शिता

i) ई–भूगतान एनइएफटी/आरटीजीएस

ii) ई–प्राप्तियाँ

8) व्यथा/शिकायत निवारण तथा फिडबॅक तंत्र

i) शिकायत निवारण ॲप

ii) समवर्ती फीडबॅक ॲप

iii) व्यापार शिकायते

iv) नागरिकों की शिकायते

9) कम्प्युटरीकरण के जरिए स्वेच्छा निर्णय को न्यूनतम रखना.

i) ऍक्सेस नियंत्रण प्रणाली

ii) जीआयएस मॅपिंग

iii) ई–अनुज्ञापत्र/ई–लाइसेंस

iv) इआरपी

v) पीसीएस2

vi) स्टेकहोल्डरों के लिए ई–प्लॅटफार्म

vii) ई–निविदा

viii) बयाना राशि की वापसी

ix) ई–ऑफिस

x) कागजातों का डिजिटायझेशन

10) सतर्कता कार्रवाई :

i) सतर्कता ऍप/हेल्पलाइन्स/वेबसाईट
ii) निवारक सतर्कता
iii) दंडात्मक सतर्कता
iv) निगरानी तथा खोज
v) कपट निवारण पहल
vi) सतर्कता निरीक्षण (ऑनलाईन/मिसिल/निविदाएँ)
vii) औचक निरीक्षण
viii) सहमत सूची
ix) सीबीआइ/एसीबी के साथ समन्वय
xi) वार्षिक संपत्ति विवरणियों की संवीक्षा
xi) अचल संपत्ति की खरीद की मॉनिटरींग
xii) सुधार हेतु प्रणाली अध्ययन
xiii) बड़ी परियोजनाओं का मुख्य तकनीकी परीक्षक (सीटीई) प्रकार का निरीक्षण

11) चेंजिंग माइण्डस् कार्यक्रम

i) प्रेरणादायक वक्ता

ii) नियमित ध्यान धारणा कक्षाएँ

iii) सतर्कता जागरुकता सप्ताह

iv) भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यंग्य नाटिकाएँ

12) मानव संसाधन में पारदर्शिता नीतियाँ

i) संवेदनशील पदों का स्थानांतरण

ii) लोक शिकायत कक्ष

iii) युनियनों के साथ आवधिक बैठकें

iv) पारदर्शी भरती नीति.

13) भूमि आबंटन तथा प्रबंधन हेतु पारदर्शी नीति

i) 2012 के बजाए भाव से पुनर्नवयिन

ii) निविदा/नीलामी प्रक्रिया के जरिए इकमुश्त भुगतान पर नये पट्टे

iii) विधीक्षण समिति/चूक निष्कर्ष समिति

iv) पोर्ट द्वारा नियम तथा विनियम गठित करके तद्नुसार कार्य करना है

v) विकासकों को आवासीय रियल इस्टेट बिक्री नहीं की जायेगी.

14) कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण प्रणाली :

i) युनियनों के साथ नियमित परस्पर संवाद

ii) सुरक्षा समिति की बैठकें

iii) एससी/एसटी/ओबीसी असोसिएशन के साथ नियमित बैठकें

iv) यौन उत्पीडन समिति (महिला कक्ष)

v) अपीलीय तंत्र के साथ कर्मचारी शिकायत निवारण समिति

15) **सत्यनिष्ठा के लिए प्रोत्साहन देना**

i) अध्यक्षजी के साथ बैठकर कॉफी–पान (कॉफी विथ चेअरमन)

ii) नयी कल्पना प्रतिफल योजना

iii) जनतंत्र दिवस पर प्रशंसा प्रमाणपत्र

iv) माह के कर्मचारी (एम्प्लॉयी ऑफ मंथ)

16) **क्षमता वृद्धि**

i) पारदर्शिता प्रशिक्षण

ii) कार्य पर प्रशिक्षण

iii) अंतर्राष्ट्रिय सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं में सहभाग

iv) अन्य राष्ट्रों कि/अंतर्राष्ट्रिय पत्तनों को भेंट

17) वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा मॉनिटरींग :

मॉनीटरींग संबल

i) प्रशासन रिपोर्ट

ii) वार्षिक लेखें/लेखा परीक्षा रिपोर्ट

iii) आइएसओ लेखा परीक्षा रिपोर्ट

iv) मण्डल के निर्णयों पर की गयी कार्रवाई

v) आवधिक प्रकटन

18) संगठन को विकसित करना :

गतिशीलता, दृष्टि तथा प्रेरणा के जरिए संगठन के विकास पर ध्यान केंद्रित करना.

पारदर्शिता हेतु निविदा प्रक्रियाओं में योजनाबध्द सुधार

1) रु. 25 लाख तथा उससे अधिक के अनुमानित मूल्य के (निर्माण) कार्य, माल सामान तथा सेवाओं के प्रापण हेतु सभी निविदाओं को विज्ञापन देने से खुली निविदा प्रणाली के जरिए आमंत्रित किया जायेगा. रु. 2 लाख से अधिक के परंतु रु. 25 लाख से कम (मर्यादित निविदा) के अनुमानित मूल्य की निविदाओं को एक पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए मुंपोट्र के साथ पंजीकृत विक्रेताओं से आमंत्रित किया जायेगा. विक्रेताओं को पंजीकृत करने की कार्यपध्दति तथा प्रारंभिक मर्यादाएँ समय–समय पर मण्डल में तय की जायेगी.

2) **रु. 2 लाख तथा 25 लाख के बीच के मूल्य की मर्यादित निविदा के लिए कार्यपध्दति.**

(ए)1. (ए) यदि प्रापण करने के माल सामान तथा सेवाओं का मूल्य 25 लाख रुपयों से कम है तो मर्यादित निविदा का प्रयोग.

(बी) निविदा की प्रतियाँ ई–मेल द्वारा पत्तन के सभी पंजीकृत विक्रेताओं को भेजी जायेगी तथा उसकी पावती योग्य साधनों के जरिए सुनिश्चित की जायेगी.

(सी) मर्यादित निविदाओं के संबंध में विक्रेताओं की न्यूनतम संख्या 3 होगी.

(डी) अधिक स्पर्धकों को आकर्षित करने हेतु मर्यादित निविदा की पूछताछ को पत्तन के वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा.

(ई) मर्यादित निविदाओं के मामले में विक्रेताओं को उनकी बोलियाँ प्रस्तुत करने के लिए कमसे कम 7 दिनों की मोहलत दी जायेगी.

2. विज्ञापन जिसका बिक्री प्रसार ज्यादा है ऐसे कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक अख़बार में तथा वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशक, कोलकत्ता द्वारा प्रकाशित इंडियन ट्रेड जर्नल में दिया जायेगा.

3. रु. 2 लाख से अधिक की सभी निविदाएँ एनआयसी (NIC) द्वारा विकसित ई–प्रोक्यूरमेंट सोल्युशन के जरिए प्रकाशित तथा संसाधित की जायेगी जो केंद्रीय लोक प्रापण पोर्टल (CPPP पोर्टल) या अन्य ई–प्रोक्यूरमेंट सोल्युशन्स के जरिए पहुँचयोग्य होगी तथा उसकी एक लिंक पत्तन की अधिकारिक वेबसाईट पर दी जानी चाहिए. यदि ई–निविदा अन्य ई–प्रोक्यूरमेंट सोल्युशन्स के जरिए की गयी है तो सभी निविदाओं की पूछताछ की विस्तृत जानकारी संबंधित शुद्धिपत्र तथा उस पर एक साथ प्रदान की गयी संविदाओं का विस्तृत वर्णन एनआईसी (NIC) की XML सुविधा का उपयोग करके CPP पोर्टल पर प्रकाशित /प्रतिनिश्चित किया.

4. निविदा जिस ई–प्रोक्यूरमेंट सोल्युशन में उठाई गयी है उसके पते के साथ पत्तन के वेबसाईट का पता अखबारों तथा इंडियन ट्रेड जर्नल में प्रकाशित विज्ञापनों में दिया जायेगा. निविदा आमंत्रित करनेवाला विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि संपूर्ण बोली कागजात ई–प्रोक्यूरमेंट सोल्युशन की वेबसाईट पर उपलब्ध है तथा उसकी एक लिंक पत्तन की अधिकारिक वेबसाईट पर दी गयी है.

5. (निर्माण) कार्य, माल–सामान तथा सेवाओं के सभी प्रापण को 1 अक्तूबर 2016 से ई–निविदा के जरिए किया जाना है.

6. भविष्यलक्षी बोलीकर्ताओं को वेबसाईट से निविदा कागजात डाऊनलोड करने की अनुमति दी जायेगी.

7. निविदा कागजात में एक विशिष्ट धारा समाविष्ट होगी जिसमें यदि वह वेबसाईट से डाऊनलोड किया होगा तो बोली प्रस्तुतीकरण के साथ में निविदा कागजात की लागत की अदा करने के लिए बोलीकर्ता को अनुदेश दिये जायेंगे.

8. वैश्विक निविदा के मामले में, पत्तन यह सुनिश्चित करेगा कि निविदा सूचना (नोटिस) की प्रतियाँ विदेश स्थित भारतीय राजदूतवासों तथा भारत में विदेशी राजदूतवासों को भेजी जायेगी.

9. बोलियों के प्रस्तुतीकरण हेतु निम्नलिखित नुसार न्यूनतम समय की शर्त रखी जायेगी.

(1)	देशांतर्गत खुली निविदाएँ	–	3 सप्ताह
(2)	वैश्विक निविदाएँ	–	4 सप्ताह

10. एक अकेले स्रोत या विक्रेता से माल–सामान तथा सेवाओं का प्रापण मात्र आत्यंतिक परिस्थितियों में किया जायेगा जिस के लिए जीएफआर के नियम 154 तके यथा निर्दिष्ट सम्यक औचित्य दिया जायेगा.

11. रु. 50 करोड़ तथा उससे अधिक के लागत के सभी कार्य के लिए निविदा समिति में एक विशेषज्ञ होगा जो अधिकतम आईआईटी या उसकी प्रतिष्ठा के समान संगठनों से होना जरुरी है.

बी. प्राक्कलनों की तैयारी.

सामान्य स्थिति में प्राक्कलनों को अनुमोदित दरों की अनुसूची/डीएसआर तंत्र के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए. जहाँ कार्य विशेषीकृत स्वरुप के हैं तथा इस प्रकार की दरों की अनुसूची उपलब्ध नहीं हैं वहाँ उस उत्क्रम में के लोनिवि डीएसआर तथा लोनिवि डीएसआर से उन मदों के दरों को लेकर प्राक्कलनों को तैयार किया जा सकता है. फिर भी यदि मदों के प्राक्कलन उपलब्ध नहीं है तो भविष्यलक्ष्यी विक्रेताओं से तीन दर–प्रस्ताव को लेने के अलावा अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EOS) (एक सप्ताह की अवधि प्रदान करके) मंगवाकर निर्धारित किया जा सकता है.

सी. पूर्व–अर्हता निकष

विशेषीकृत स्वरुप के कार्य के सभी मामलों में, जहाँ इन–हाऊस विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है पूर्व–अर्हता निकष का सूत्रीकरण करने में किसी बाहरी विशेषज्ञ का सहायता ली जाए.

डी. बयाना धन जमा राशि की वापसी

बयाना धन जमा राशि की वापसी दिनांक 07 जनवरी 2016 की वित्त परिपत्र संख्या एफए/एडब्ल्यूसी–टी–34(58)XII ए/1562

इ. कार्यानुभव का प्रमाण.

1) बोलीकर्ताओं द्वारा दावा किये गये कार्यानुभव का प्रति सत्थापित करने हेतु सभी निविदा आमंत्रक विभागों द्वारा एक सामान्य शर्त के रुप में बोलीकर्ताओं के पूर्ववर्ती नियोक्ता से टीडीएस प्रमाणपत्र लाने का आग्रह किया जायेगा.

2) बोलीकर्ताओं द्वारा टीडीएस प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में कोई कठिनाई हो तो कार्यानुभव की तसल्ली करने के लिए प्रमाण के तौर पर आयकर विभाग के फार्म 2645 के लिए आग्रह किया जायेगा.

एफ. बोलीकर्ताओं द्वारा कपटपूर्ण कागजात प्रस्तुत करना.

1) कपटपूर्ण कागजातों के प्रस्तुतीकरण को निविदा प्रक्रिया का गंभीर उल्लंघन माना जायेगा तथा ऐसे मामलों में उस बोलीकर्ता के बधज/जमानत राशि/बैंक गारंटी को जप्त करने के अलावा पत्तन इस फर्म को अगलो 3 वर्षों के लिए काली सूची (ब्लॅकलिस्ट) में डाल देगा.

2) सभी निविदा आमंत्रित करनेवाले विभाग तत्काल उनके जीसीसी (संविदा की सामान्य शर्ते) में यह धारा समाविष्ट करेंगे.

3) काली सूची (ब्लॅक लिस्ट) में डाले गये बोलीकर्ताओं की सूची पत्तन की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जानी चाहिए.

जी. कार्य/परियोजनाओं का तृतीय पक्ष (थर्ड पार्टी) मॉनिटरींग.

निम्नलिखित प्ररंभिक मर्यादा के साथ संविदाओं के संबंध में तृतीय पक्ष के पर्यवेक्षण का सहारा लिया जायेगा.
सिविल कार्य – रु. 5 करोड़ तथा उससे अधिक

यांत्रिक/विद्युत कार्य – रु. 50 लाख तथा उससे अधिक

जहाँ इनहाऊस विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हैं ऐसी सभी निविदाओं के लिए तृतीय पक्ष के पर्यवेक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए. पारदर्शी तंत्र के जरिए आइपीए/मुंबई पोर्ट द्वारा तृतीय पक्ष पैनल सूची बनाना चाहिए.

एच. निविदा समिति की बैठकों का आयोजन.

निविदा आमंत्रित करनेवाला विभाग निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा.

1) सुस्पष्ट निरीक्षणों के साथ निविदा संवीक्षा रिपोर्ट ठीक तरह से तैयार की गयी है.
2) बोलीकर्ताओं द्वारा किये गये दावों के समर्थन में कागजातों की प्रामाणिकता को निविदा आमंत्रित करनेवाले विभाग द्वारा सत्यापित तथा प्रमाणित किया जाना चाहिए.

3) हर–एक बोलीकर्ता की पात्रता तथा अर्हता निकष के संबंध में एक तुलनात्मक विवरण तैयार किया जाना चाहिए. इसे कागजातों के साथ लेखा परीक्षा हेतु वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा.

4) निविदा समिति की बैठक का संयोजन करने से पहले संवीक्षा रिपोर्ट तथा निविदा कागजातों का पूर्व–लेखा परीक्षा पूर्ण की जायेगी.

5) लेखा परीक्षा के दौरान वित्त विभाग द्वारा उठाये गये मुद्दों की उचित जाँच की जायेगी तथा निविदा आमंत्रित करनेवाला विभाग हर एक मुद्दे के खिलाफ जबाब प्रस्तुत करेगा.

6) निविदा समिति को एक विस्तृत टिप्पणी अग्रिम परिचालित की जायेगी जिसमें निविदा समिति की बैठक का स्थान, तिथि तथा समय का स्पष्ट उल्लेख होगा.

7) निविदा समिति को उसकी बैठक में जाँच सूची का मानक प्रपत्र भरकर प्रस्तुत किया जायेगा (अनुलग्नक 1ए नुसार प्रतिलिपि संलग्न).

8) निविदा समिति की बैठक की कार्यवाहियों को तैयार करके उनपर बैठक के दिन या कागजात के अगले दिन समिति के सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया जायेगा.

आय. निविदा से संबंधित अभिलेखों का रखरखाव.

1) निविदा आमंत्रित करनेवाले विभाग के प्रमुख निविदा के प्रभारी अधिकारी के रुप में एक अधिकारी को नामित करेंगे, नामित अधिकारी का पदनाम, पता, दूरभाष, सेल नंबर तथा ई–मेल आयडी का उल्लेख निविदा कागजात में किया जायेगा.

2) निविदा के प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सीव्हीसी (कें.स.आ.) के मार्गदर्शक तत्वों के अनुसार सभी पँजियो/कागजातों/अभिलेखों का रखरखाव उनके द्वारा किया जाता है.

जे. परिर्तन समिति का गठन.

1) प्राक्कलित लागत से अधिक के अतिरिक्त तथा ज्यादा कार्य के निष्पादन की जाँच करने तथा समयावधि के विस्तारण हेतु एक परिवर्तन समिति का गठन किया जायेगा.

2) इस समिति में एक बाहरी विशेषज्ञ, वि.स. तथा मु.ले.अ.ए निविदा जारी करनेवाले विभाग के प्रमुख तथा उपभोक्ता विभाग के प्रमुख शामिल होंगे.

3) परिवर्तन समिति अतिरिक्त तथा ज्यादा कार्य का निष्पादन, प्रापण तथा सेवाओं के ऐसे सभी मामलों की जाँच करेगी जिसमें परिवर्तन की राशि कार्य की प्राक्कलित लागत से 10: से बढ कर होगी.

4) परिवर्तन समिति पंचाग माह में एक बार पर्याप्त सिफारिशों के लिए ऐसे प्रस्तावों का मुल्यांकन करने हेतु बैठक करेंगी.

के. संविदा से संबंधित फाईलों, कागजातों तथा बिलों की ट्रॅकींग.

सभी निविदाओं से संबंधित फाईलों तथा कागजातों और बिलों के सभी संचालनों को इडीपी द्वारा विकसित पत्र ट्रॅकिंग प्रणाली तथा/निविदा प्रबंधन प्रणाली के जरिए मॉनिटर किया जायेगा.

एल. उत्तरदायित्व मॅट्रिक्स.

प्राक्कलन के चरण से लेकर संविदा के अंतिम निष्पादन तथा बिलों के भुगतान तक के निविदा से संबंधित सभी अधिकारियों का एक प्राधिकारी उत्तरदायित्व मॅट्रिक्स सभी विभागों द्वारा गठित किया जायेगा तथा विभागीय नियम पुस्तिका में शामिल किया जायेगा (पंद्रह दिनों के अंदर)

एम. निविदा प्रबंधन प्रणाली.

सिवल अभियांत्रिकी कार्य के लिए पत्तन तत्काल एक निविदा प्रबंधन प्रणाली का प्रापण करेगा जो छोटे–मोटे संशोधन के बाद इआरपी के साथ अनुकूल करके यांत्रिक तथा विद्युत अभियांत्रिकी कार्य के लिए प्रयोग में लायी जा सकती है.

एन. ई–निविदा.

तत्काल प्रभाव से सभी प्रापणों को ई–निविदा के जरिए किया जाना जरुरी है तथा सभी निविदाओं पर इलेक्ट्रॉनिकली प्रक्रिया किया जाना जरुरी है.

अनुलग्नक 1ए

निविदा से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए फलक

निविदा आमंत्रित करनेवाला विभाग	
निविदा का प्रकार	*एकल / मर्यादित / खुली / वैश्विक*
कार्य प्रापण का विवरण	
संविदा की अनुमानित लागत	
निविदा के अनुमोदित करनलेवाला प्रधिकारी तथा प्रशासनिक व वित्तीय अनुमोदन की तिथि	
बजट प्रावधान	
निविदा के प्रकाशन की तिथि	
प्रचार का माध्यम (अखबार / सीपीपी पोर्टल)	
बंधज (रु.)	
निविदा की नियत तिथि तथा समय	
समय का विस्तारण यदि कोई हो.	
नियत तिथि पर प्राप्त हुई निविदाओं की संख्या	
बोलीकर्ताओं के नाम	
पुनः मुहरबंद किये गये निविदाओं की संख्या	
पुनः मुहरबंद करने के कारण	
न खोली गयी निविदाओं की संख्या	
न खोले जाने के कारण	
बजाय जमा करने में छूट, आदि कोई दी गयी हो (एनएसआइसी / एमएसएमइ / एसएसआई)	
हर एक बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तावित कीमत	
लागू शुल्क तथा कर	
कीमत परिवर्तन धारा	
एल आय बोलीकर्ता का नाम तथा प्राथमिक संवीक्षा के अनुसार प्रस्तावित कीमत	
निविदा संवीक्षा रिपोर्ट के निष्कर्ष	
पूर्व लेखा परीक्षा मुद्दे	
पूर्व लेखा परीक्षा मुद्दों के प्रति विभाग की प्रतिक्रिया.	
निविदा समिति की चर्चा	
निविदा समिति की सिफारिशे	
अनुमोदन का चॅनेल	
सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की तिथि	
कार्यादेश की लागत तथा जारी करने की तिथि	
निविदा प्रदान करने की संख्या लागत के साथ	